

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/567

रीवा दिनांक : 29-12-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य  
जानकी प्रसाद शिक्षा महाविद्यालय  
शहपुर, नागौद, जिला सतना (म.प्र.)

**विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2023–2024 विषयक।**

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 29-12-2022 के आइटम क्रमांक 3(02) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2023–2024 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.ए.एल.एल.बी. (पांच वर्षीय पाठ्यक्रम) प्रथम वर्ष-60सीट।

**नोट –**

1. बी.ए.एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश बार काउंसिल आफ इंडिया की मान्यता प्राप्त होने पर ही दें।
2. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति बी.ए.एल.एल.बी. पाठ्यक्रम हेतु करें।
3. महाविद्यालय में बी.ए.एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के अनुसार विभागीय पुस्तकालय में संबंधित पाठ्यक्रम हेतु स्तरीय प्रकाशन की सभी विषयों की कम से कम 10-10 पुस्तकों को संधारित करें।
4. Mute Court का निर्माण करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2024–2025 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ–

1. उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
2. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
4. कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)